

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जनिप्रा/जोन-12/06/डी- 70113

दिनांक : 31/7/06
1.8.06

श्री रमेश चन्द गीणा
सचिव
मानव सेवा संस्थान, सीएस सदन, बेंस स्टैण्ड
जमवारामगढ़


विषय :- खातेदारी भूमि खसरा नं. 585/1447 रकबा 2 विघा 6 गिरवा भूमि
जमवारामगढ़ का भू-उपयोग उपान्तरण वास्त।

सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 18.07.2006

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के सन्दर्भ में लिख है कि उपरोक्त भूमि का कृषि
भूमि से अकृषि संस्थानिक उपयोग हेतु दिनांक 10.01.2006 को सूक्ष्म अधिकारी द्वारा
राजस्थान भू-प्राप्तरीय अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख)(3) का आदेश जारी किया जा
चुका है। उक्त क्षेत्र गाररार प्लान 2011 में इकोलोजिकल क्षेत्र होने के कारण संस्थानिक
क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

भवदीय,


उपायुक्त (जोन-12)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर


श्री वी.एल. मैमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण
जमवारामगढ़, जयपुर



राजस्थान सरकार
जयपुर

क्रमांक: एफ--() जविप्रा./उपा जोन-12/06/डं:-10364

दिनांक : 24.11.06

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसारण में यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा खेती एवं दिनांक 25.08.98 से प्रभावी मारटर प्लान विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में निम्नानुसार उपान्तरण का प्रस्ताव है :-

:- प्रस्तावित उपान्तरण :-

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जमवारामगड तहसील जमवारामगड के खसरा नम्बर 586/1247 रकबा 2 बीघा 6 बिरना अथवा 5817.16 वर्गमीटर में से सड़क की भूमि 420 वर्गमीटर जविप्रा को निशुल्क समर्पित करते हुये शेष 5397.16 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था राजस्थान राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन तिथि से या किन्ही दो राज्यस्तरीय समाचार-पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से, जो भी पहले हो, 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 2.11.06 को जारी की गयी।

अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)

प्रचार्य

श्री बी.एल. मैमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
जमवारामगड, जयपुर (राज.)